प्रेस नोट

खालिस्तान समर्थक आरोपियों को अवैध असलहा सप्लाई करने वाला पंजाब पुलिस एवं यूपी एटीएस के संयुक्त ऑपरेशन में गिरफ्तार

दिनाँक : 16 फरवरी , 2019

दिनाँक 15 फरवरी 2019 को स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल, अमृतसर और यूपी एटीएस के संयुक्त ऑपरेशन में खालिस्तान समर्थकों को अवैध शस्त्र देकर सहयोग करने वाले एक आरोपी गुड्डू उर्फ़ संजय राठी को उसके गाँव से गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार आरोपी

अभियुक्त का नाम पता –

गुड्डू उर्फ़ संजय राठी
पुत्र ओमवीर सिंह
उम्र – 25 वर्ष
निवासी : ग्राम व पोस्ट –इटावा, थाना – बुढ़ाना,
जनपद – मुजफ्फ़रनगर

विवरण

- यूपी एटीएस को स्टेट स्पेशल आपरेशन सेल अमृतसर द्वारा सूचना साझा की गयी की उनके यहाँ पर दर्ज अभियोग में दो आरोपी क्रमशः दलजीत सिंह उर्फ़ बब्बल पुत्र बलविंदर सिंह, निवासी : गहेरी मंडी, थाना-जंडियाला, अमृतसर व सतनाम सिंह उर्फ़ मन्नी पुत्र लखविंदर, निवासी : भाई मंज साहिब रोड, सुल्तान विंड, अमृतसर गिरफ्तार हुए हैं जो तथाकथित खालिस्तान की मांग और रेफरंडम 2020 से जुड़े रहे हैं।
- इनके पास से 02 पिस्तौल - .32 बोर, 03 मैगजीन, 09 जिन्दा कारतूस व मादक पदार्थ बरामद हुए है |
- गुड्डू उर्फ़ संजय राठी पुत्र ओमबीर सिंह राठी ने इन्हें अवैध पिस्तौल बेची थी।
- आरोपी गुड्डू उर्फ़ संजय राठी अमृतसर के कई अपराधियों को करीब 30-35 अवैध पिस्तौल सप्लाई कर चुका है।
- उपरोक्त प्रकरण में मु.अ.सं. - 01/2019, धारा-15/18/21/25/29/61/85 NDPS एक्ट व 25/54/59 आर्म्स एक्ट, थाना-स्टेट स्पेशल ओपरेशन सेल, अमृतसर, पंजाब में पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

पंजाब पुलिस, मुजफ्फ़रनगर पुलिस के साथ-साथ यूपी एटीएस के निरीक्षक प्रमेन्द्र कुमार, आरक्षी रोहित मलिक, आरक्षी मनेन्द्र सिंह, आरक्षी हेमन्त भाटी की टीम ने उपरोक्त गिरफ्तारी की।

- **असीम अरुण, आईजी यूपी एटीएस**

UTTAR PRADESH UP ATS ANTI-TERROR SQUAD

हाई रेजोल्युशन फोटो के लिए यहाँ क्लिक करें

https://drive.google.com/open?id=1ELXMYA5e_4LlxtGfx21YBbkXQhsG_K2w